–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 148 / 2025

उनवान

कानाराम गुर्जर पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 28.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 7648 के वंर्किग खसरा नम्बर 4569 के सामने उत्तरी दिशा में हाल खसरा नम्बर 4574 के वंर्किग खसरा नम्बर 7647 खेत के कोने तक नाली थी। तत्पश्चात वंर्किग खसरा नम्बर 7646 सिवायचक खसरा है। वंर्किग खसरा नम्बर 7647 के हाल खसरा नम्बर 4574 को प्रार्थी के खातेदारी हाल खसरा नम्बर 4569 के उत्तरी दिशा में सम्पूर्ण भू भाग पर नाली दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व मानचित्र मेंवंर्किग नक्श की तुलना में दुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया है। अतः वर्तमान राजस्व मानचित्र में पूर्व राजस्व नक्शा अनुसार तरमीम की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गयां। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4569 रकबा 0.10 नहरी 1 प्रार्थी की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 4574 रकबा 0.09 गै.मु. नाली व 4575 रकबा 0.47 बारानी 3 सिवायचक खातें में दर्ज हैं। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 4569 की सम्पूर्ण उत्तरी मेड के सामने खसरा नम्बर 4574 गै.मु. नाली अंकित है। प्रार्थी की खातेदारी का वंर्किग खसरा नम्बर 7648 व नाली का वंर्किग खसरा नम्बर 7647 है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 7648 की उत्तरी मेड के आंशिक हिस्से पर ही वंर्किग खसरा नम्बर 7647 नाली अंकित है। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सामने पूर्ण हिस्से पर नाली [illegible] है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 04.[illegible].25 [illegible] अनुसार भी आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र में त्रुटि है साथ ही पटवारी हल्का [illegible] तरमीम किया जाना उचित बताया है। उक्तानुसार आराजी मुतनाजा का [illegible] मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। राज. पैरोकार द्वारा प्रकरण का खण्डन नही किया [illegible] है। नक्शा दुरुस्ती से [illegible] हित प्रभावित नही होता है। आराजी मुतनाजा का रकबा व किस्म भी जमाबंदी में परिवर्तित

—— 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही होगी। हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार भी प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आदिनांक व सही रखने, पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 7646, 7647 व 7648 हाल खसरा नम्बर 4569, 4574 व 4575 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर की आराजी का हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर व मौका स्थिति का निरीक्षण कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested